②

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 200 / 2022

सुनिल जाखड, एडवोकेट, कोर्ट परिसर, नवलगढ, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं (राज0) मो0न0 9314468084

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्डं अधिकारी) नवलगढ।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 29.06.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 07.06.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 200 / 2022 पर दिनांक 07.06.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2021 / 2564–65 दिनांक 07.06.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ ने पत्रांक सू0अ0अ0 / 2022 / 779 दिनांक 21.06.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा आरटीआई के तहत प्रार्थना पत्र इस कार्यालय को दिनांक 26.04.2022 को प्राप्त हुआ। प्रार्थी को सूचना के क्रम मे इस कार्यालय के पत्रांक सू0अ0अ0 / 22 / 728 दिनांक 25.05.2022 के तहत सूचित कर दिया गया था। श्रीमान्जी आवेदनकर्ता द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नगत एवं तीसरे पक्ष की व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)ञ के अन्तर्गत प्रावधान है कि किसी व्यक्ति के जीवन से संबंधित व्यक्तिगत सूचना तभी दी जा सकती है जब उस सूचना से विस्तृत लोक हित हो। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना मे कोई लोक हित समाहित नही है। इसलिए सूचना व्यक्तिगत एवं प्रश्नगत होने से दिया जाना संभव नही है। आवेदनकर्ता को समय पर सूचना के संबंध मे अवगत करवा दिया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ ने पत्रांक सू0अ0अ0 / 2022 / 779 दिनांक 21.06.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा आरटीआई के तहत प्रार्थना पत्र उनके कार्यालय को दिनांक 26.04.2022 को प्राप्त हुआ। प्रार्थी को सूचना के क्रम मे उनके कार्यालय के पत्रांक सू0अ0अ0 / 22 / 728 दिनांक 25.05.2022 के तहत सूचित कर दिया गया था। श्रीमान्जी आवेदनकर्ता द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नगत एवं तीसरे पक्ष की व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)ञ के अन्तर्गत प्रावधान है कि किसी व्यक्ति के जीवन से संबंधित व्यक्तिगत सूचना तभी दी जा सकती है जब उस सूचना से विस्तृत लोक हित हो। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना मे कोई लोक हित समाहित नही है। इसलिए सूचना व्यक्तिगत एवं प्रश्नगत होने से दिया जाना संभव नही है। आवेदनकर्ता को समय पर सूचना के संबंध मे अवगत

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.07.06 15:11:45 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

करवा दिया गया है। चूंकि प्रार्थी को कार्मिकों संबंधी सूचना एवं गारण्टेड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एक्ट 2012 के तहत प्राप्त आवेदन की सूचना प्रार्थी को दी जा सकती है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ को आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी को चाही गई सूचना 7 दिवस निःशुल्क उपलब्ध करवाई जावे।

7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 29.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर झुन्झुनूं
जिला कलक्टर, झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.07.06 16:11:45 IST
Reason: SelfAttested